**HARYANA GOVERNMENT**

EDUCATION DEPARTMENT

**Notification**

The 13th May, 2022

**No. G.S.R. 106/Const. /Art. 309/2022.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Education Department, National Cadet Corps Cadre (Group-C) Service Rules 1991, namely:-

**1.** These rules may be called the Haryana Education Department, National Cadet Corps Cadre (Group C) Service Amendment Rules, 2022.

**2.** In the Haryana Education Department, National Cadet Corps Cadre (Group C) Service Rules, 1991 (hereinafter called the said rules), in rule 2, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

(a) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission, Haryana;'.

**3.** In the said Rules, in rule 5, for the words and sign "seventeen" and "thirty five", the words and sign "eighteen" and "forty-two" shall be substituted.

**4.** In the said rules, rule 9 in sub-rule (1), clause (e) shall be omitted.

**5.** In the said rules, in rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

**"14. Discipline, penalties and appeals.-** (1) The matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C and D to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix C and D to these rules.".

**6.** In the said rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely:-

**"APPENDIX A**

(See Rule 3)

| Serial number | Designation of post | Number of posts | | | Scale of pay |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Permanent | Temporary | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Head Clerk | 02 | - | 02 | Pay Matrix Level – 6<br>Cell-1=Rs. 35400-112400/- |
| 2 | Assistant | 22 | - | 22 | Pay Matrix Level – 6<br>Cell-1=Rs. 35400-112400/- |
| 3 | Ship Modeling Mechanic | 01 | - | 01 | Pay Matrix Level – 6<br>Cell-1=Rs. 35400-112400/- |
| 4 | Aero Modeling Instructor-cum-Store Keeper | 02 | - | 02 | Pay Matrix Level – 4<br>Cell-1=Rs. 25500-81100/- |
| 5 | Junior Scale Stenographer | 02 | - | 02 | Pay Matrix Level – 4<br>Cell-1=Rs. 25500-81100/- |
| 6 | Driver | 43 | - | 43 | Pay Matrix Level – 4<br>Cell-1=Rs. 25500-81100/- |
| 7 | Clerk | 92 | - | 92 | Pay Matrix Level – 2<br>Cell-1=Rs. 19900-63200/- |
| 8 | Store-Keeper | 01 | - | 01 | Pay Matrix Level – 2<br>Cell-1=Rs. 19900-63200/- |
| 9 | Lascar | 120 | - | 120 | Pay Matrix Level – 2<br>Cell-1=Rs. 19900-63200/- |

**7.** In the said rules, Appendix B,-

(i) serial number 5 and existing entries there against shall be omitted;

(ii) for serial number 10 and entries there against, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| "10 | Lascar | (i) 10+2 standard or its equivalent from any recognized Board/ Institution;<br>(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. | **By Promotion:**<br>(i) 10+2 standard or its equivalent from any recognized Board/ Institution;<br>(ii) three years experience as Group D employee.<br>**Transfer/Deputation:**<br>(i) 10+2 standard or its equivalent from any recognized Board/ Institution;<br>(ii) two years experience as Lascar;<br>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.'; |

(iii) For the words "knowledge of Hindi upto Matric standard", wherever occurring, the words "Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education" shall be substituted.

**8.** In the said rules, Appendix C,-

(i) serial number 5 and entry there against, under column 2, existing entry shall be omitted;

(ii) under column 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

| 4 |
|---|
| "(i) Minor Penalties-<br>As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016<br>(ii) Major Penalties-<br>As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016." |

**9.** In the said rules, in Appendix D, serial number 5 and entry there against, under column 2, existing entry shall be omitted.

ANAND MOHAN SHARAN,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Higher Education Department.

9579—C.S.—H.G.P., Pkl.

**भाग-III**

**हरियाणा सरकार**

शिक्षा विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 13 मई, 2022

**संख्या सा०का०नि० 106/संवि० /अनु० 309/2022.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय कैडेट कोर संवर्ग (वर्ग–ग) राज्य सेवा नियम 1991, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:—

1. ये नियम हरियाणा शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय कैडेट कोर संवर्ग (वर्ग–ग) राज्य सेवा (संशोधन) नियम, 2022 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय कैडेट कोर (वर्ग–ग) राज्य सेवा नियम, 1991 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:–

'(क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;'।

3. उक्त नियमों में, नियम–5 में, ''17'' तथा ''35'' अंकों के स्थान पर, क्रमशः ''अठारह'' तथा ''बयालीस'' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगें।

4. उक्त नियमों में, नियम 9 में, खण्ड (ड) का लोप कर दिया जायेगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 14, के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:–

''14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें– (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में यथा विनिर्दिष्ट है।''।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:–

**''परिशिष्ट क**

**(देखिए नियम 3)**

| क्रम संख्या | पद नाम | पदों की संख्या | | | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थायी | अस्थाई | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | प्रधान लिपिक | 02 | – | 02 | वृत्तिमूलक वेतन स्तर–6 सैल–1= 35400–112400 रूपये/– |
| 2 | सहायक | 22 | – | 22 | वृत्तिमूलक वेतन स्तर–6 सैल–1= 35400–112400 रूपये/– |
| 3 | शिप माडलिंग अनुदेशक | 01 | – | 01 | वृत्तिमूलक वेतन स्तर–6 सैल–1= 35400–112400 रूपये/– |
| 4 | ऐरो माडलिंग अनुदेशक | 02 | – | 02 | वृत्तिमूलक वेतन स्तर– 4 सैल–1= 25500–81100 रूपये/– |
| 5 | कनिष्ट वेतनमान आशुलिपिक | 02 | – | 02 | वृत्तिमूलक वेतन स्तर– 4 सैल–1= 25500–81100 रूपये/– |
| 6 | चालक | 43 | – | 43 | वृत्तिमूलक वेतन स्तर– 4 सैल–1= 25500–81100 रूपये/– |
| 7 | लिपिक | 92 | – | 92 | वृत्तिमूलक वेतन स्तर–2 सैल–1= 19900–63200 रूपये/– |

| क्रम संख्या | पद नाम | पदों की संख्या | | | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थायी | अस्थाई | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | स्टोर कीपर | 01 | — | 01 | वृत्तिमूलक वेतन स्तर–2 सैल–1= 19900–63200 रूपये/– |
| 9 | लास्कर | 120 | — | 120 | वृत्तिमूलक वेतन स्तर–2 सैल–1= 19900–63200 रूपये/–"। |

**7.** उक्त नियमों, में परिशिष्ट ख में,–

(i) क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 10 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| "10 | लास्कर | (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10+2 या समकक्षः<br>(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत। | **पदोन्नति द्वारा–**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10+2 या समकक्षः<br>(ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।<br>**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा–**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10+2 या समकक्षः<br>(ii) लास्कर के रूप में दो वर्ष का अनुभवः<br>(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत। |

(iii) "मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान" शब्दों, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी अथवा संस्कृत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

**8.** उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग में,–

(i) खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगाः

(ii) खाना 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

| 4 |
|---|
| "(i) छोटी शास्तियां–<br>हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।<br>(ii) बड़ी शास्तियां–<br>हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित"। |

**9.** उक्त नियमो में, परिशिष्ट घ में, खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

आनन्द मोहन शरण,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।